सं. 7/3/2020-डीआरटी
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
वित्तीय सेवाएं विभाग

तृतीय तल, जीवन दीप भवन,
संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001,
23 जून, 2020

विज्ञापन

विषय: ऋण वसूली अधिकरणों में पीठासीन अधिकारी के पदों को भरना।

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 31.7.2020 तक ऋण वसूली अधिकरणों (डीआरटी) में पीठासीन अधिकारी के पदों की संभावित तथा अप्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 तथा तत्समय प्रयोज्य ऋण वसूली अधिकरण (अधिकरणों के पीठासीन अधिकारी के पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया) नियम, 1998 के उपबंधों के अनुसार अभ्यर्थियों का पैनल तैयार करने हेतु इस विभाग के दिनांक 3.9.2019 के परिपत्र संख्या 7/2/2019-डीआरटी, के माध्यम से एक रिक्ति परिपत्र जारी किया गया था। अभ्यर्थियों के चयन की प्रक्रिया चल रही थी परन्तु इसी बीच राजस्व विभाग ने दिनांक 12.2.2020 की अधिसूचना के माध्यम से अधिकरण, अपील अधिकरण एवं अन्य प्राधिकरण (सदस्यों की अर्हता, अनुभव तथा अन्य सेवा शर्तें) नियम, 2020 को अधिसूचित किया। अत: दिनांक 3.9.2019 की उक्त रिक्ति परिपत्र/विज्ञापन संख्या 7/2/2019-डीआरटी को रद्द करने तथा नए नियमों के अनुसार नए सिरे से रिक्ति परिपत्र जारी करने का निर्णय लिया गया।

2. तदनुसार, (i) पुणे (ii) पटना (iii) दिल्ली-1 (iv) चण्डीगढ़-1 (v) चण्डीगढ़-2 तथा (vi) एर्णाकुलम-2 डीआरटी में पीठासीन अधिकारी की छह रिक्तियों को भरने तथा तथा पूरे देश में दिनांक 31.3.2021 तक 39 डीआरटी में पीठासीन अधिकारी की संभावित तथा अप्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिए अभ्यर्थियों का पैनल तैयार करने हेतु पात्र तथा इच्छुक अभ्यर्थियों से अधिकरण, अपील अधिकरण एवं अन्य प्राधिकरण (सदस्यों की अर्हता, अनुभव तथा अन्य सेवा शर्तें) नियम, 2020 की शर्तों के अनुसार आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। चयनित व्यक्ति की नियुक्ति रिक्तियों की उपलब्धता के आधार पर देश में किसी भी डीआरटी में की जा सकती है। बिना किसी सूचना के रिक्तियों में परिवर्तन किया जा सकता है।

3. यह नोट किया जाए कि वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने दिनांक 3.9.2019 के पूर्व रिक्ति परिपत्र संख्या 7/2/2019-डीआरटी के लिए आवेदन किया है, को 2020 के नए नियम अर्थात अधिकरण, अपील अधिकरण एवं अन्य प्राधिकरण (सदस्यों की अर्हता, अनुभव तथा अन्य सेवा शर्तें) नियम, 2020 के अनुसार अपनी पात्रता को ध्यान में रखते हुए पीठासीन अधिकारी के पद के लिए नए सिरे से आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

4. डीआरटी में पीठासीन अधिकारी के लिए अपेक्षित अर्हता निम्नानुसार है:-

"पीठासीन अधिकारी के पद पर नियुक्ति हेतु कोई व्यक्ति तब तक पात्र नहीं होगा, जब तक कि वह जिला न्यायाधीश न हो अथवा न रहा हो या बनने की अर्हता न रखता हो"

5. चयनित अभ्यर्थी चार (04) वर्ष की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पूर्वोत्तर हो, पद धारण करेगा।

6. किसी डीआरटी के पीठासीन अधिकारी के पद के लिए प्रयोज्य सेवा शर्तें समय-समय पर यथा संशोधित अधिकरण, अपील अधिकरण एवं अन्य प्राधिकरण (सदस्यों की अर्हता, अनुभव तथा अन्य सेवा शर्तें) नियम, 2020 के अनुसार होंगी। ऋण वसूली अधिकरण के पीठासीन अधिकारी को 1,44,200-2,18,200 रुपए के वेतन का संदाय किया जाएगा और वह भारत सरकार में समान वेतनमान का पदधारण करने वाले समूह 'क' अधिकारी के लिए अनुज्ञेय भत्ते प्राप्त करने का हकदार होगा।

7. पात्र और इच्छुक अभ्यर्थी (जो सरकारी सेवा में हों), गत पांच वर्ष अर्थात् वर्ष 2014-15 से 2018-19 (यदि तीन माह से अधिक अवधि की कोई एपीएआर/एसीआर अभिलेखबद्ध नहीं की गई हो, तो वर्ष 2014-15 से पहले की एपीएआर/एसीआर को उक्त अवधि के लिए कोई प्रतिवेदन नहीं (एनआरसी) के प्रमाण-पत्र के साथ अग्रेषित करना चाहिए) की वार्षिक कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट, विगत दो वर्ष में निपटाए गए मामलों के संबंध में सूचना, सतर्कता निकासी, सत्यनिष्ठता प्रमाण-पत्र के साथ निर्धारित प्रपत्र में उपयुक्त माध्यम से आवेदन कर सकते हैं, ताकि उनके आवेदन अवर सचिव (डीआरटी), वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, प्रथम तल, जीवन दीप भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 को **3 अगस्त, 2020** तक प्राप्त हो जाएं।

8. आवेदनों की अग्रिम प्रतियां अथवा बिना अपेक्षित दस्तावेज के प्राप्त आवेदनों अथवा अंतिम तिथि के पश्चात् आवेदन को सीधे ही अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

9. विज्ञापन तथा निर्धारित आवेदन इस मंत्रालय की वेबसाइट finmin.nic.in (यूआरएल: http://financialservices.gov.in/vacancy) पर भी उपलब्ध है।

10. विभाग को बिना कोई सूचना दिए इस विज्ञापन को निरस्त करने का अधिकार प्राप्त है।

किसी विवाद किसी स्थिति में अंग्रेजी पाठ का अनुसरण किया जाएगा।

संलग्नक: यथोक्त

(सुभाषचन्द्र अमीन)
अवर सचिव (डीआरटी)
दूरभाष सं. 011-23748763